


09.10.2021

<p>हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>राजस्व आवेदन पत्र संख्या 122/2020 अनवान जगमालराम बनाम मूलाराम</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवकर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 09.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, शिवकर पर पत्रावली पेश हो।</p> <p>पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा नैनवा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1288/354 रकबा 22.10 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा नंबर 1290/354 रकबा 12.00 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 34.10 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।</p> <p>अतः मौजा नैनवा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1288/354 रकबा 22.10 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा नंबर 1290/354 रकबा 12.00 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 34.10 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्यवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर (एसडीओ) बाड़मेर </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर

प्रार्थीगण

1 जगमालराम पुत्र धूड़ाराम 2 धर्माराम
पुत्र धूड़ाराम 3 जमनादेवी पत्नी
धूड़ाराम पुत्री पीराराम जातियान जाट
निवासीयान नेनवा (शिवकर) तहसील व
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 मूलाराम पुत्र भोमाराम 2 जीयाराम पुत्र
भोमाराम 3 रासीगाराम पुत्र प्रेमराम 4
फरसाराम पुत्र खेताराम 5 कल्याणराम
पुत्र स्वरूपाराम 6 हरखाराम पुत्र
तुलछाराम 7 गोकलराम पुत्र सोनाराम 8
मालाराम पुत्र हेराजराम 9 गेनाराम पुत्र
मोड़ाराम 10 खैराजराम पुत्र पूराराम 11
सुरताराम पुत्र पूराराम 12 वेहनाराम पुत्र
पूराराम 13 हेमाराम पुत्र पूराराम 14
अचलाराम पुत्र जगूराम 15 मोटाराम पुत्र
पैलादराम 16 भगाराम पुत्र सताराम 17
जसाराम पुत्र सताराम 18 दोलाराम पुत्र
पूनमाराम जातियान जाट निवासी नेनवा
(शिवकर) तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-122/2020 दिनांक-09.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नैनवा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा
नम्बर 1288/354 रकबा 22.10 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा नंबर 1290/354 रकबा 12.00
बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 34.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक
निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत्
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 09/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 5094-5097

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जगमालराम पुत्र धूड़ाराम वगैरह जाति जाट निवासी नेनवा (शिवकर) तहसील व
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मूलाराम पुत्र भोमाराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान नेनवा (शिवकर)
तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर